न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 154/2009 (2009/00070) दायर दिनांक 23.11.2009
वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. गोरधन आत्मज नंदराम माली
2. प्रहलादराय आत्मज नंदराम माली
3. औंकार लाल आत्मज नंदराम माली
4. डालचन्द आत्मज नंदराम माली
5. गोविन्द आत्मज नंदराम माली
6. राजू आत्मज नंदराम माली
7. लक्ष्मीबाई बेवा नंदराम माली (डिलीट)

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

वादीगण

बनाम

1/1 श्रीमती लादी देवी पुत्री इन्द्रदेव शर्मा निवासी गंगापुर हाल नि0 अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा (भीलवाड़ा)
1/2 कैलाशचन्द्र गोदपुत्र इन्द्रदेव शर्मा निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा (भीलवाड़ा)
2. नंदलाल आत्मज रामलाल शर्मा निवासी गंगापुर हाल निवास सांवलिया मिक्स आईसक्रीम पारोला रोड़ गली नं0 5 व 6 की खोल धूलिया (महाराष्ट्र)

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

अधिवक्ता वादीगणः— श्री मदनलाल जीनगर
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1/2:— श्री अरविंद चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2:— श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
दिनांक 14.06.2021

<u>निर्णय</u>

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 5691 रकबा 0.29 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है । प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 साथ पेश है।

यह कि वाद पत्र की कलम नं0 एक में अंकित आराजी के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नहीं होने से वादीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने [illegible] पक्षकारान आपस में 2 वर्षो से बराबर सीमा संबंधी विवाद बन[illegible]हता [illegible]। इस बाबत वादीगण ने दिनांक 19.02.2008 को सीमा [illegible] दिनांक 26.02.2008 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] एक्ट के अन्तर्गत [illegible] श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया। जो दिनांक 24.[illegible]2009 को वादीगण के [illegible] निस्तारित किया गया। निर्णय दिनांक 24.02.2009 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह कि दिनांक 24.02.2009 के न्यायालय श्रीमान के निर्णय की पालना में दिनांक 11.06.2009 को पक्षकारान की उपस्थिति में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ने मौका पर्चा पत्थरगढ़ी तैयार किया गया, जिससे वादीगण की आराजी संख्या 5691 रकबा 0.29 हे0 के दक्षिण दिशा में लम्बाई 42 मीटर एवं चौड़ाई 18 मीटर कुल क्षैत्रफल 756 वर्ग मीटर पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा होना पाया। प्रमाण में पर्चा मौका दिनांक 11.06.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण की आराजी संख्या 5691 रकबा 0.29 हे0 के दक्षिण दिशा में 756 वर्ग मीटर भूमि पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा होने से पक्षकारान के मध्य आपस में विवाद बना रहता है और प्रतिवादीगण वादीगण को 756 वर्ग मीटर भूमि पर 2 वर्षो से नाजायज अतिक्रमी के तौर पर काश्त कर फसल लाभ ले रहे है जिससे वादीगण को सालाना लगभग 500/– व दो वर्षो में कुल लगभग 1000/– के फसल लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। प्रतिवादीगण के नाजायज कब्जे से 756 वर्गमीटर भूमि व फसल लाभ के लगभग 1000/– वादीगण को दिलाया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायोचित है। ताकि रेकार्ड की स्थिति अनुसार वादीगण आराजी संख्या 5691 रकबा 0.29 हे0 पर काश्त लाभ ले सके।

यह कि वादीगण की आराजी संख्या 5691 रकबा 0.29 हे0 के खातेदारी काश्तकार होकर उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण ने बिना किसी हक अधिकार के बलात अतिक्रमी की हैसीयत से दो वर्षो से कब्जा कर रखा है जिसे किसी भी हैसीयत से जायज नहीं ठहराया जा राकता है। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः सादर प्रार्थना है कि ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 5691 रकबा 0.29 हे0 भूमि के दक्षिण दिशा में लम्बाई 42 व चौड़ाई 18 मीटर क्षैत्रफल 756 वर्ग मीटर भूमि पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी की हैसियत से बलात आधिपत्य कर रखा है, उक्त 756 वर्ग मीटर भूमि के हिस्से पर प्रतिवादीगण के बलात आधिपत्य को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री सादर फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी)
सापर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

एवं प्रतिवादीगण वादीगण को 756 वर्ग मीटर भूमि पर 2 वर्षो से नाजायज अतिक्रमी के तौर पर काश्त कर फसल लाभ ले रहे है जिससे वादीगण को सालाना लगभग 500/– व दो वर्षो में कुल लगभग 1000/– के फसल लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। प्रतिवादीगण के नाजायज कब्जे से 756 वर्गमीटर भूमि व फसल लाभ के लगभग 1000/– का नुकशान के रूपये वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.11.2009 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित व अण्डर टेकिंग लेने वाले अधिवक्ता ने वकालत नामा पेश नहीं करने से प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से प्रतिवाद पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम नं0 01 में जंहा तक आराजी संख्या 5691 वादीगण के खातेदारी अधिकार की होने प्रश्न है स्वीकार है। लेकिन उनका कब्जा 0.29 हे0 पर नहीं होने के कारण शेष कथन अस्वीकार किया है। यह कि वादपत्र की कलम नं0 दो गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में 2 वर्ष से सीमा को कोई विवाद नहीं चल रहा है। यह कि वाद पत्र की कलम नं0 तीन में जंहा तक पत्थरगढ़ी करने का प्रश्न है स्वीकार है तथा वादीगण की आराजी के दक्षिण भाग में प्रतिवादीगण का 756 वर्गमीटर पर जो कब्जा बताया है वो सही है। यह कब्जा पुश्तैनी तोर पर होकर करीब 60 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है। यह कि वाद पत्र की कलम नं0 चार गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण की आराजी संख्या 5691 पर प्रतिवादीगण का कब्जा पिछले दो वर्षो से नहीं होकर 60 वर्षो से है और कब्जा मुखालपाना के आधार पर प्रतिवादीगण आराजी संख्या 5691 के दक्षिण भाग के 756 वर्ग मीटर भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है। वादीगण को सालाना 500/– रूपये व कुल दो वर्ष का 1000/– रूपये का कोई नुकशान नहीं हुआ है। वादपत्र की कलम नं0 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर कोई गलत कब्जा नही किया है बल्कि अपने पूर्वजो के समय से जिस जगह काबिज थे उसी पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है। यह कि वाद पत्र की कलम नं0 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण का कब्जा विगत 2 वर्षो से नही होकर करीब 60 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। और वे आराजी संख्या 5691 के दक्षिणी भाग की 756 वर्ग मीटर भूमि के खातेदार काश्तकार होने योग्य हो गये है। यह कि वाद पत्र की कलम नं0 सात गलत होने से अस्वीकार है प्रतिवादीगण अब अतिक्रमी की हैसियत से नहीं बल्कि खातेदार की हैसियत से काबिज है। यह कि वाद पत्र की कलम नं0 8 गलत होने से अस्वीकार हैं। यह कि वादपत्र की कलम नं0 9, 10, कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह कि वादपत्र की कलम नं0 12 वादीगण है जो गलत होने से अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchoti
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 154/2009(2009/00070)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

यह कि वादीगण ने उक्त आराजी भैरूलाल आत्मज घासीराम ब्राह्मण जो कि हमारे भाई बंध लगाते है उन्ही से दिनांक 17.08.64 को खरीद की जब कि हमारा कब्जा उससे पूर्व भी उसी जगह पर था जंहा आज तक यथावत चला आ रहा है। वादीगण की आराजी संख्या 5691 का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 5692 से मिला हुआ है। वादीगण ने इससे पूर्व भी दिनांक 22.06.1987 इसी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाई थीं जिसके प्रकरण संख्या 18/87 थे उस समय भी प्रतिवादीगण को कब्जे बाबत उनको जानकारी हो गई थी और सन् 87 को भी यदि आधार माने तो भी वादीगण को कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा है। और 12 वर्ष से अधिक समय का प्रतिवादीगण का प्रतिकुल कब्जा होने के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। अतः सादर प्रार्थना है कि वादीगण का वाद पत्र बाबत् कब्जे का सव्यय खारिज फरमाते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जाकर आराजी संख्या 5691 के दक्षिण दिशा के 756 वर्ग मीटर भूमि का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे व नवीन नं0 अंकित करवा लगान अलग कायम कराया जावें।

उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र मय काउन्टर क्लेम का जवाब वादीगण द्वारा पेश कर काउन्टर क्लेम की कलम संख्या 13 गलत होने से अस्वीकार है। यह कि वादीगण ने जब से उक्त आराजी भैरूलाल पिता घासीराम ब्राह्मण से दिनांक 17.08.1964 को खरीदी तभी से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण की आराजी संख्या 5691 का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 5692 से मिला होने का नाजायज लाभ उठाते हुए प्रतिवादीगण ने दो वर्षो से वादीगण के दक्षिणी भाग के 756 वर्गमीटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी की हैसियत से बलात् आधिपत्य कर रखा हैं। वादीगण ने प्र0सं0 18/87 दिनांक 22.06.1987 को इसी आराजी की कोई पत्थरगढ़ी नहीं करवाई थी, न हीं प्रतिवादीगण का दो वर्षों पूर्व से वादीगण की आराजी के दक्षिणी भाग पर 756 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा रहा है। प्रतिवादीगण के बलात् आधिपत्य के कारण खातेदारी काश्तकार घोषित करने व नवीन नम्बर अंकित करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण का ही आराजी संख्या 5691 रकबा 0.29 हे0 पर निर्बाध कब्जा चला आ रहा था। सीमा विवाद होने के कारण दिनांक 19.02.2008 को सीमा जानकारी एवं दिनांक 26.[illegible] [illegible] पत्थरगढ़ी बाबत् पेश किये। पत्थरीगढ़ी निर्णय एवं पर्चा मौका रिपो[illegible] [illegible] पर वादीगण को जानकारी में आया कि प्रविादीगण [illegible] भाग के 756 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा [illegible] ने पत्थरगढ़ी बाबत् कोई प्रार्थना पत्र सन् 1987 में पेश नहीं किया है। कलम [illegible]या 14 व 15 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी)
(राज.)

Scanned with CamScanner

काउन्टर क्लेम के जवाब की ताईद में वादी का शपथपत्र पेश है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी पत्र के साथ पेश काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार होकर गलत आधारों पर पेश किया गया है, जो काबिल खारिजी के है। निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र में निम्नानुसार तनकी कायम की गईः–

1. वादग्रस्त में 756 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादीगण को बलात् आधिपत्य होने से अतिक्रमण हटाने को वादीगण अधिकार रखते है।

.... जिम्मे वादीगण

2 वादीगण प्रतिवादीगण से बलात् आधिपत्य के कारण 1000 रूपये के नुकसान की भरपाई के अधिकारी है।

..... जिम्मे वादीगण

3. प्रतिवादीगण बलात् अधिपत्य के कारण खातेदारी एवं नवीन नंबर अंकित कराने के अधिकारी नहीं है।

......जिम्मे वादीगण

4.प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खरीद कर काबिज है जिससे वादीगण को कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, प्रतिवादीगण वादग्ररत भूमि में 756 वर्ग मीटर में खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

5. अनुतोष!

वादपत्र में तनकियात कायम किये जाने के बाद साक्ष्य वादी प्रारंभ की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1, लेखबद्ध करा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2064 तक पेश की है जो प्रदर्श –1 है। निर्णय पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2009 प्रदर्श–02 है। मौका पर्चा पत्थरगढ़ी दिनांक 11.06.2019 प्रदर्श –03 है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श–04 है।

जिसपर जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई उक्त गवाह श्री गोर्वधन लाल पिता नंदराम ने मुख्य परीक्षण में बताया कि मैनें दिनांक 13.03.2012 को मुख्य परीक्षा का शपथ – पत्र [illegible] प्रदर्श 1 से 4 डाले गये ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। यह बात सही है [illegible] जी की जमीन पहले भैरूलाल पिता घासीराम ब्राह्मण [illegible] पता नही कि भैरूलाल पिता घासीराम ब्राह्मण इन्द्रदेव के भाई [illegible] ये कहना गलत है कि घासीरामजी और इन्द्रदेवजी के जमीन के मध्य वर्षो [illegible]ने थोर लगे हुए हो। यह कहना सही हैं कि हमने घासीराम जी से सन् 1964 में खरीदी थी यह बात सही है कि हमारी औश्र प्रतिवादीगण इन्द्रदेवजी, नंदरामजी की एक ही पाली है।

[illegible] कलक्टर
([illegible] अधिकारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उस समय हमें पता नहीं था कि उस भूमि पर इन्द्रदेवजी का कब्जा हो इन्द्रदेव के कब्जे में जो भूमि है। उसका पता हमें 2009 में चला। मुझे ध्यान नहीं कि इस आराजी की पत्थरगढ़ी मु0 नं0 18 / 87 के जरिये सन् 1987 में हो गई हो। 1987 में कोई पत्थरगढ़ी नहीं करवाई और 2009 में पत्थरगढ़ी करवाई गई थी। और सन् 2009 में पता चला इन्होंने कब्जा कर रखा है। नाजायज कब्जा कब किया मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे जानकारी 2009 में पता चला। कब्जा करने की साल महीना और मिति मुझे याद नहीं है।

वादीगण अधिवक्ता की ओर से दिनांक 08.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया सं0 सात मु0 लक्ष्मीबाई बेवा नंदराम माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की मृत्यु हो गई है जिसके वारिसान एक लगायत छः रेकार्ड पर है। जिससे वादिया सं0 सात मु0 लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाने से उनका नाम डिलीट फरमाया जाकर मूल वादपत्र में लाल स्याही से वादिया सं0 सात मु0 लक्ष्मीबाई का नाम डिलीट किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु प्रतिवादी को कई अवसर दिये गये । जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बंद की गई। प्रार्थना पत्र पर सीधी बहस सुनी गई बाद बहस रेकार्ड के अवलोकन व प्रार्थना पर पर मनन के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया सं0 सात मु0 लक्ष्मीबाई बेवा नंदराम माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा का नाम लाल स्याही से डिलीट का आदेश दिया जाता है।

प्रतिवादी को साक्ष्यप्रतिवादी हेतु अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं अतः साक्ष्यप्रतिवादी बंद की जाती है।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र में बहस सुनाये जाने हेतु निवेदन किया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष कारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1, लेखबद्ध करा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2064 तक पेश की है जो प्रदर्श –1 है। निर्णय पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2009 प्रदर्श–02 है। मौका पर्चा पत्थरगढ़ी दिनांक 11.06.2019 प्रदर्श –03 है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श–04 है। एडवर्स पजेशन लागू नही होता है। तथा साथ ही बयान गवाहों को मध्य नजर रखते हुए वादपत्र में चाही गई रिलीफ अनुसार ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 5691 [illegible] दिशा में लम्बाई 42 व चौड़ाई 18 मीटर क्षैत्रफल 756 वर्ग मीटर [illegible] पर [illegible]वादीगण ने अनाधिकृत रूप से अतिकमी की हैसियत से [illegible] 756 वर्ग मीटर भूमि के हिस्से पर प्रतिवादीगण के बलात आधिपत्य को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के [illegible]रूद्ध डिकी सादर फरमाई जाने बाबत् निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(... अधिकारी)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाबदावा मय काउंटर क्लेम को दोहराते हुए काउंटर क्लेम का अवलोकन फरमानें हेतु निवेदन किया कि पजेशन दिलाया जावें। न ही वादीगण द्वारा लिमीटेशन दिनांक बतायी कि कब कब्जा किया। 12 वर्ष से अधिक समय का प्रतिवादीगण का प्रतिकुल कब्जा होने के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। अतः सादर प्रार्थना है कि वादीगण का वाद पत्र बाबत् कब्जे का सव्यय खारिज फरमाते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जाकर आराजी संख्या 5691 के दक्षिण दिशा के 756 वर्ग मीटर भूमि का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे व नवीन नं0 अंकित करवा लगान अलग कायम कराया जावें।

निम्नानुसार लिखित बहस पेश कर वादपत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया:–

मैंने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण पर मनन किया एंव वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बयान गवाहान का परीक्षण किया गया व पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर – 1

तनकी नम्बर – 1 को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 प्रकरण संख्या 13 / 2008 निर्णय दिनांक 24.02.2009 एवं मौका पर्चा दिनांक 11.06.2009 पेश किया जिससे साबित होता हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी नं0 5691 के दक्षिण दिशा में लम्बाई 42 मीटर एवं चौड़ाई 18 मीटर क्षैत्रफल 756 वर्गमीटर पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है। अतः तनकी नं. 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर –2

तनकी नम्बर –2 को साबित कराने का भार वादीगण पर था। कि वादीगण प्रतिवादीगण से बलात् आधिपत्य के कारण 1000 रूपये के नुकसान की भरपाई के अधिकारी है। जो कि तनकी नं0 1 से साबित होता है। अतः तनकी नं. 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर –3

तनकी नम्बर–3 को साबित कराने का भार वादीगण पर था। कि प्रतिवादीगण बलात् अधिपत्य के कारण खातेदारी एवं नवीन नंबर अंकित कराने के अधिकारी नहीं है। इस हेतु वादीगण ने प्रस्तुत रेकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2064 तक एवं नक्शा ट्रेस एवं दौराने बहस एडवर्स पजेशन के आधार पर कब्जा साबित नहीं होने का हवाला दिया जिससे तनकी नं0 3 से साबित होता है। अतः तनकी नं. 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर –4

तनकी नम्बर–4 को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खरीद कर काबिज है जिससे वादीगण को कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, प्रतिवादीगण [illegible] 756 वर्ग मीटर में खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी है। [illegible] हेतु प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई साक्ष्य पेश किये जिससे सिद्ध होता हो कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में 756 वर्ग मीटर में खातेदारी अधिकार घोषित होने के अधिकारी हो। अतः तनकी नं. 4 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

...पक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
...पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

चूंकि वादपत्र की समस्त तनकिया वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतएवं

:: आदेश::

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 5691 रकबा 0.29 हे0 भूमि के दक्षिण दिशा में लम्बाई 42 व चौड़ाई 18 मीटर क्षैत्रफल 756 वर्ग मीटर भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत रूप से बलात आधिपत्य को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2021 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

8.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 154/2009 (2009/00070) दायर दिनांक 23.11.2009

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. गोरधन आत्मज नंदराम माली
2. प्रहलादराय आत्मज नंदराम माली
3. औंकार लाल आत्मज नंदराम माली
4. डालचन्द आत्मज नंदराम माली
5. गोविन्द आत्मज नंदराम माली
6. राजू आत्मज नंदराम माली
7. लक्ष्मीबाई बेवा नंदराम माली (डिलीट)

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

वादीगण

बनाम

1/1 श्रीमती लादी देवी पुत्री इन्द्रदेव शर्मा निवासी गंगापुर हाल नि0 अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा (भीलवाड़ा)

1/2 कैलाशचन्द्र गोदपुत्र इन्द्रदेव शर्मा निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा (भीलवाड़ा)

2. नंदलाल आत्मज रामलाल शर्मा निवासी गंगापुर हाल निवास सांवलिया मिक्स आईसक्रीम पारोला रोड़ गली नं0 5 व 6 की खोल धूलिया (महाराष्ट्र)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगणः– श्री मदनलाल जीनगर

अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1/2:– श्री अरविंद चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2:– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत

डिक्री दिनांक 14.06.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल जीनगर , प्रतिवादी सं0 1/2 अधिवक्ता श्री अरविंद चौधरी प्रतिवादी संख्या 2 अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चुण्डावत एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में उक्त वाद में आज दिनांक 14.06.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर [illegible] दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ——–—×——–— और इस वाद के खर्च ——–—×——–— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख [illegible] उस पर ——–—×——–— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ——–—×——–— द्वारा ——–—×——–— को दी जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) [illegible] (राज.)

Scanned with CamScanner

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 5691 रकबा 0.29 हे0 भूमि के दक्षिण दिशा में लम्बाई 42 व चौड़ाई 18 मीटर क्षैत्रफल 756 वर्ग मीटर भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत रूप से बलात आधिपत्य को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 14.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner